राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ.1(2) डीओपी/ ए-II/97 पार्ट — जयपुर, दिनांक: 23.05.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 23 का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के विद्यमान नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"23. आवेदनों की संवीक्षा और परीक्षाएं.- (1) आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद के लिए आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उनके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बाद में आयोग केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की ही संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों।

(2) लिखित परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाये।

(3) आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के लिए, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें, उसके द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबन्धित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बाद में बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की ही संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हित हों:

परन्तु कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रोग्राम अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक (पीआर), लेखा सहायक, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक आईईसी और समन्वयक पर्यवेक्षण के पद पर नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों की अनुसूची में यथोल्लिखित, सहबद्ध अर्हताओं के सिवाय, ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या तकनीकी अर्हता में प्राप्त अंकों पर आधारित ऐसी अधिमानता, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, तथा इतने अंको, जो मनरेगा या राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग या शिक्षा विभाग की किसी स्कीम या परियोजना के अधीन व्यक्तियों द्वारा एक वर्ष से अधिक समरूप कार्य के अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के आधार पर योग्यता तैयार की जायेगी।

स्पष्टीकरण : (i) जहां कहीं भी विशिष्ट परीक्षा में अभ्यर्थी को दी गई ग्रेड के कारण अंकों का प्रतिशत अभिनिश्चित नहीं किया जा सके, वहां ऐसी परीक्षा में योग्यता सूची तैयार करने का आधार अभ्यर्थी को दी गई ग्रेड का माध्यम होगा।

(ii) इस नियम के प्रयोजन के लिए सहबद्ध अर्हता से कंप्यूटर एप्लीकेशन के ज्ञान से संबंधित प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री या पत्रकारिता में डिप्लोमा, अभिप्रेत है।

(iii) इस नियम के प्रयोजन के लिए, समरूप कार्य का अनुभव निम्नानुसार अभिनिश्चित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	निम्न रूप में कार्य करने के अनुभव	पद के लिए विचार किया जाना	अभियुक्तियां
1	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग या शिक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता	कनिष्ठ अभियंता	
2	प्रोग्राम अधिकारी/सहायक प्रोग्राम अधिकारी/प्रबंधक एसजीएसवाई	सहायक प्रोग्राम अधिकारी	
3	प्रोग्राम/एमआईएस प्रबंधक	कम्प्यूटर अनुदेशक (पीआर)	
4	लेखा सहायक/लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी	लेखा सहायक	
5	समन्वयक प्रशिक्षण/सलाहकार प्रशिक्षण	समन्वयक प्रशिक्षण	
6	समन्वयक आई.ई.सी.	समन्वयक आई.ई.सी.	
7	समन्वयक पर्यवेक्षण	समन्वयक पर्यवेक्षण	

(4) किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/ बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

23/05/2022.

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

30/2022

राजस्थान शिक्षक संघ युवा,मनोज मीना